

हितग्राहियों को मलबरी पौधरोपण हेतु उपलब्ध सहायता –प्रति एकड़

क्रमांक	योजना का नाम	प्रति एकड़ इकाई लागत (रूपये में)	केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंश	राज्यांश	हितग्राही अंश	योग
1	मलबरी पौधरोपण / किसान नर्सरी	9000 / -	4500 / -(50%)	4500 / -(50%)	निरंक	9000 / -
2	बायवोल्टाईन कृमिपालकों को / उपकरण सहायता	50000 / -	25000 / -(50%)	12500 / -(25%)	12500 / -(25%)	50000 / -
3	सिंचाई सुविधा सहायता योजना	20000 / -	10000 / -(50%)	5000 / -(25%)	5000 / -(25%)	20000 / -
4	कृमिपालन भवन योजना	75000 / - 150000 / - 200000 / -	18750 / -(25%) 37500 / -(25%) 50000 / -(25%)	18750 / -(25%) 37500 / -(25%) 50000 / -(25%)	37500 / -(50%) 75000 / -(50%) 100000 / -(50%)	75000 / - 150000 / - 200000 / -

उपरोक्त योजनाओं के अलावा मलबरी, टसर एवं इरी क्षेत्र की अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारियों के लिये रेशम संचालनालय या संबंधित जिला कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है ।